



संदर्भ सं.राबै.पुनर्वित्त-नीति/ 226 /आईएस-1/2020-21

परिपत्र सं.188 /पुनर्वित्त-63 /2020

08 जुलाई 2020

प्रबंध निदेशक/ अध्यक्ष
सभी राज्य सहकारी बैंक /सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
जिला सहकारी बैंक

महोदय

अल्पावधि कृषि ऋणों के लिए आधार लिंकेज का अनुपालन - ब्याज सहायता योजना और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन - लाभ

Compliance of Aadhaar Linkage for Short-term Agri Loans - Interest Subvention Scheme and Prompt Repayment Incentive – Benefits

आप जानते हैं, **आधार** (लक्षित वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं को उपलब्ध कराना) अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में ब्याज सहायता युक्त अल्पावधि फसल ऋण, त्वरित चुकौती प्रोत्साहन, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) आदि भारत सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों की आधार संबंधी जानकारी की प्राप्ति बैंकों के लिए अनिवार्य है.

2. कृपया 31 जुलाई 2017 का हमारा परिपत्र सं. पुनर्वित्त नीति / 189/ 190 देखें जिसमें वर्ष 2017-18 के दौरान अल्पावधि फसल ऋण लेने वालों के लिए **आधार** लिंकेज प्राप्त करना ग्राहक बैंकों के लिए अनिवार्य करने और ब्याज सहायता की प्रतिपूर्ति का दावा करते समय बैंकों को केसीसी युक्त आधार लिंकेज सुनिश्चित करने की सूचना दी गई है.

As you are aware, in terms of provisions of Aadhar (Targeted delivery of financial and other subsidies, benefit and services) of Act 2016, it has been enabled and made mandatory to capture details of Aadhar by banks of all the beneficiaries availing short term crop loans where Interest Subvention, prompt repayment incentives, PMFBY etc schemes of the Government of India are implemented.

2. We invite a reference to our circular no DoR Policy /189/190/ dated 31 July 2017 wherein the client banks were advised to make Aadhar linkage mandatory for availing short term crop loans in 2017-18 and it was also indicated therein that Banks have to ensure that Aadhar linkage with KCC has been done while claiming reimbursement of Interest Subvention (IS).

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

विभाग नाम

प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26524926 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org

Department Name

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26524926 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: dor@nabard.org

ोंव बढ़े >> तो देश बढ़े

www.nabard.org

Taking Rural India >> Forward

3. भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने 02 जुलाई 2020 के अपने पत्र सं. एफ. सं. 1-12/2020- क्रेडिट (संलग्न) के माध्यम से अल्पावधि कृषि ऋणों के समक्ष ब्याज सहायता और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन का लाभ लेने के लिए (असम, जम्मू और कश्मीर व मेघालय को छोड़कर) सभी किसानों के लिए आधार नंबर / आधार नामांकन संख्या प्राप्त करने की आवश्यकता को दोहराया है और लाभार्थी खातों की 100 प्रतिशत आधार जानकारी प्राप्त करने की सूचना दी है. हमें आशा है कि आपके द्वारा प्रस्तुत ब्याज सहायता संबंधी दावों के लिए सभी केसीसी खाता धारकों की आधार संबंधी जानकारी प्राप्त की गई है. आधार प्रमाणीकरण उपयोग करने वाले आधार युक्त व्यक्तिगत लाभार्थियों बैंक खातों में शीघ्र ही फसल ऋण पर ब्याज रियायत का प्रत्यक्ष अंतरण किए जाने की संभावना है.

4. साथ ही, भारत सरकार ने निर्णय किया है कि आधार संख्या/ आधार नामांकन संख्या प्राप्त न किए गए खातों के समक्ष ब्याज सहायता और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन का लाभ उपलब्ध नहीं होगा.

5. जिन केसीसी खातों को आधार से नहीं जोड़ा गया है, यदि कोई हो, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर 31 जुलाई 2020 से पहले जोड़ लिया जाए और एक प्रमाण पत्र हमें उपलब्ध कराया जाए. इसी प्रकार के प्रमाण पत्र जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों से प्राप्त कर रिकॉर्ड के लिए हमें भेजे जाएं. इस निर्धारित शर्त के किसी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा.

6. आगे से (असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय को छोड़कर) सभी बैंक ब्याज सहायता और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन का दावा करते समय लेखा परीक्षित दावों के साथ यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे कि उन सभी किसानों के आधार नंबर/ आधार नामांकन संख्या बैंक के पास उपलब्ध हैं जिनके लिए ब्याज सहायता और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन का दावा किया

3. The Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India vide its letter F. No. 1- 12/2020- Credit dated 02.07.2020 (appended) has reiterated the need to capture Aadhaar number/ Aadhaar Enrolment Number (AEN) for all farmers (except those from Assam, Jammu & Kashmir and Meghalaya) to avail of the benefit of Interest Subvention & Prompt Repayment Incentive against short term agricultural loans and advised us to seek confirmation of 100 percent Aadhaar seeding of beneficiary accounts. We are hopeful that Aadhaar seeding has already been done for all KCC accounts for which interest subvention claims have been preferred by you. Shortly, it is expected that the interest subvention on crop loans to individual borrowers shall be made as direct transfer using Aadhaar authentication and linked banked accounts.

4. Further, it has been decided by the GoI that IS and PRI benefit shall not be available against those accounts where Aadhaar number/AEN has not been captured.

5. Those KCC accounts which are yet to be Aadhaar seeded, if any, may be done on a priority basis and in any case before 31 July 2020 and provide us a confirmation certificate. A similar certificate of compliance by CCBs may also be collected and forwarded to us for record. Any deviation from the stipulated condition shall be viewed seriously.

6. Henceforth, all banks (except those in Assam, Jammu & Kashmir and Meghalaya) are advised to provide a certificate along with the audited claims whilst seeking IS and PRI reimbursement that the Aadhaar number/ AEN of all farmers for whom they are claiming reimbursement of IS

गया है और (उन तीन राज्यों को छोड़कर) प्रतिपूर्ति का कोई मामला उनके पास नहीं है जिनका आधार/ आधार नामांकन संख्या उपलब्ध नहीं है. बैंकों से इस आशय के प्रमाण पत्र के प्रस्तुत न किए जाने पर प्रतिपूर्ति के दावों पर विचार नहीं किया जाएगा. बैंक के निरीक्षण के दौरान नाबार्ड इनकी जांच करेगा.

7. साथ ही, बैंक/ शाखाओं का सांविधित लेखा परीक्षा करने वाले सभी लेखापरीक्षा दलों को ब्याज सहायता और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन का लाभ लेने वाले सभी लाभार्थियों से संबंधित आधार/ आधार नामांकन संख्या की अनिवार्यता के अनुपालन की जांच की सलाह दी जाए.

8. कृपया आपके बैंक के सभी केसीसी खातों को लाभार्थी के आधार नंबर से जोड़ने संबंधी प्रमाण पत्र की पुष्टि 07 अगस्त 2020 को या उससे पहले हमारे क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत की जाए और इसकी एक प्रति हमें भेजी जाए. इसे अति महत्वपूर्ण और आवश्यक समझा जाए.

and PRI has been captured and is available with the bank and that there is no case of claim of reimbursement where Aadhaar/AEN is not available (except for the three exempted States). Claims for reimbursement will not be considered unless supported with a certification in this regard from the banks. This will be verified during inspection of the bank undertaken by NABARD.

7. Further, all audit teams carrying out statutory audit of banks/branches may be asked to verify compliance with regard to mandatory capturing of Aadhaar/AEN for all beneficiaries availing benefit of IS and PRI.

8. We request you to kindly submit the confirmation certificate that all the KCC accounts in your bank have been linked to the Aadhar number of the borrower, to our Regional Office with a copy to us on or before 07 August 2020. This may be treated as most important and urgent.

भवदीय Yours faithfully

एल. आर. रामचन्द्रन

(एल आर रामचन्द्रन)
मुख्य महाप्रबंधक